कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय—एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद-जनपद- चमोली में बूगीधार मेहलचौरी बछवाणा मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण। FP/UK/ROAD/10762/2015.

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 795/12—1 दिनांक 31—08—2016 द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसे प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :—

	Cl	Clerification/reply
S.	Shortcomings	Clerification/reply
no		
1	In reply to point no. 1 of eds dated 24-05-2016 and pt no. 7	एन०पी०वी० के घनत्व को पार्ट 2 में
	of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the density	संशोधित किया गया है जो इस
	has been revised ot 0.3 now in online part -II and	कार्यालय के पत्रांक 532/12-1
	accordingly. NPV has been recalculated but, the density is	दिनांक 09–08–2016 के द्वारा
	mentioned as 0.2 instead of 0.3 in the NPV calculation sheet	संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
	attached with the reply.	
2	In reply to point no_1 of EDS dated 24-05-2016 & Point no-	पार्ट २ में संशोधित किया गया है।
	8 of EDS dated 18-05-2016 the reply of PCCF & Nodal	
	Officer is not understandable Further the DFO has	,
	mentioned that he same has been corrected but, the working	
	plan prescriptions are still not given inpara-5 of online part-	<i>t</i>
	Ii in respect of 2.38 ha of RF land proposed for diversion.	
3	In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 & point No.	भू.संरक्षण रोथाम के लिए रू० 35.00
	9 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that an estimate	के आगणन किया गया है। संलग्न
	of Rs 35.00 lakhs has been prepared to stop soil erosion but,	
	the details of the mitigative measures to be implemented has	
	not been submitted attached with the reply.	
4	In reply to point no. 1 of EDs dated 24-05-2016 & Point No-	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से वन्य
	10 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that the land	जीवों पर कोई विशेष प्रभाव नही
	required for the road is Civil and Panchayat land and the	पडेगा।
	affect of Leopard etc. is negligible in the area Construction	7 - 11 -
	of road will have any special impact. But it seen from para-2	
	of online part-II that 2.38 ha of Reserve Forest land is also	
	involved in the proosal wheih is contradictory to the reply	
	given above.	
	given addic.	



5	Raised by reginal office but th einformation is still not uploaded/corrected in corresponding section fo Forem A	पार्ट २ तथा पार्ट २ संलग्न कर प्रेषित है।
	part-i and in part-ii.	Part-II के Additional
		information details में अपलोड है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(प्रसावनीवप्रसाव नेपन्य)

(एस०टी०एस० लेप्चा) प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्राँक:- ७१९५ /१२ -) गोपेश्वर, दिनांक ३ । अगस्त, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,

देहरादून।

द्वारा:- निदे

निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:-

प्रस्तातिव बूगीधार मेहलचौरी बछवावाण मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम चाही गई सूचना निम्नानुसार संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है:-

कस	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No7 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the density has been revised to 0.3 now in online Part-II and accordingly, NPV has been recalculated but, the density is mentioned as 0.2 instead of 0.3 in the NPV calculation sheet attached with the reply.	एन0पी0वी0 के घनत्व को पार्ट II में संशोधित किया गया है जो इस कार्यालय के पत्रांक 532/12—1 दिनांक 09—08—2016 द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
2	In reply to point No 1 of EDS dated 24.05,2016 & point No8 of EDS dated 18.05.2016, the reply of PCCF & Nodal Officer is not understandable. Further, the DFO has mentioned that the same has been corrected but, the working plan prescriptions are still not given in para-5 of online Part-II in respect of 2.38 ha of RF land proposed for diversion.	पार्ट ॥ में संशोधित किया गया है
3	In reply to point No 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No9 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that an estimate of Rs. 35.00 lacs has been prepared to stop soil erosion but, the details of the mitigative measures to be implemented has not been submitted/attached with the reply.	मू— क्षरण रोकथाम के लिए रू० 35. 00 के आगणन किया गया है। संलग्न
4	In reply to point No 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No10 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the land required for the road is Civil and Panchayati Land and the affect of Leopard etc. is negligible in the area. Construction of road will have any special impact. But, it is seen from para-2 of online Part-II that 2.38 ha of Reserve Forest Land is also involved in the proposal which is contradictory to the reply given above.	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से वन्य जीवों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडेगा।
5	raised by regional office but the information is still not uploaded/corrected in corresponding section of Form A part-i and in part-ii	पार्ट ा तथा पार्ट ाा संलग्न कर प्रेषित है। part ll के Additional information Details में अपलोड है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

(नीतू लक्ष्मी एम०)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली के विकास खण्ड गेरसेण में बूगीधार- बछवावाण मेंहलचौरी के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई विल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 -एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नॉनुसार है:-

	1 - इको-क्लास	ा की	श्रेणी V	
--	---------------	------	----------	--

2 - हरियाली का धनत्व 0.2

4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल....... 2.73 है0

5-कुल देय एन०पी०वी०....रू० 17,93,000.00


(नीतू लक्ष्मी एम०) उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव(प्रभाग, गोपेश्वर। प्राक्कलन बावत— प्रस्तावि बूंगीधार मेहलचौरी— बछवावाण मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग के विभिन्न नालों में भूमि संरक्षण हेतु चैक डैम निर्माण कार्य वर्ष 2016—17

लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर।

क0स0	कार्य का विवरण	सं0	नपत (मीटर में)			सं0	दर	धनराशि
			लंं	चौ0	ক্ত			
1	विभिन्न नालों में भूमि संरक्षण हेतु चैक डैम निर्माण कार्य	370	3.00	1.5	1.5	3	9500.00	3515000.00

किन्तु देय धनराशि रू० 35,00,000.00

नीतू लक्ष्मी एम0) उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



READ PHILES Y

भाग-1

परियोजना विवरण :— जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में बुगीधार मेहलचौरी से बछुवाबाण मोटर माग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.730 है0 सिविल / वन भूमि का ग्रान्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.00 किमी०।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए	ं रेन्सैण में बुगीधार मेहलचौरी से बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी0
प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त	, 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण
विवरण।	
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और	संलग्न है।
उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को	
दशनि वाला मैप।	
ग) परियोजना की लागत।	₹0 280.00 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने	निर्माण हेतु अन्य कोई बिकल्प उपलब्ध नहीं है।
का औचित्य।	
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये	परियोजना का क्षेत्रफल 5 हैं0 से कम है अतः लागू नहीं है।
जाने के लिए)	
च) रोजगार जिनके पैदा होने की	कृषि ,पर्यटन,व्यापार इत्यादि ।
सभावना है।	
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार	मार्ग निर्माण हेतु।
विवरण:	
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का	
विवरण, यदि कोई है	
क) परिवारों की संख्या	शून्य ।
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के	शून्य ।
परिवारों की संख्या	
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने	शून्य ।
के लिए)	
4 क्या पर्योवरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	हां।
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां / नही)	
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके	संलग्न है।
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक	
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य	
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के	
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि	
में पुन वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता	
सलग्न की जाये)	
6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण	संलग्न है।
षत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	

दिनांक 30.08.)6 स्थान कर्जप्रमाग

कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम०जी०प्रस०वाई० खण्ड कर्णप्रयाग सहायक अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड कर्णप्रयाग अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड कर्णप्रयाग